

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक

फर्द अहकाम

9/12/25 पत्रावली पेश हुई व मुल्का परीक्षण उपय
पत्रावली जहादेशिका दि० 30/10/2025 के अनुसार
दि० 23/12/25 को पेश हो

23/12/25 पत्रावली पेश हुई बाल बाल अनाज
दिलाने के उपरान्त भी सामान रखे उनके अधिवक्ता
उपस्थित नहीं हुए। अतः मु० नं० 173/2009 उत्तरवाक
रामधन वर्ग० वनाम नारायण वर्ग० जार्जना पत्र
अध्यायी निवेदाज्ञा अदम हाजरी अदम पंखी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली दि० 5/10/2009
के जगदी अन्तरिम स्वगत
आदेश किहू किप जाते हैं। पत्रावली के संके
मुद्राट होकर बाद तकमील नम्बर से कम की
जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिश्रित रहे।
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।